रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103] दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 2015/श्रावण 21, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 80
No. 103] DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 2015/SRAVANA 21, 1937 [N.C.T.D. No. 80

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सतर्कता निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली, 11 अगस्त, 2015

सं.फा.5/डीओवी/परि./4/7/2015/9386-9393.—जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग में सीएनजी (CNG) फिटनेस प्रमाण–पत्र संबंधी कार्य के अवार्ड तथा इस मामले की परवर्ती परिस्थितियों के सभी पक्षों की जाँच के लिए, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन स्वतंत्र जाँच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है।

अब इसलिए, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा न्यायाधीश एस. एन. अग्रवाल, सेवानिवृत जज, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय वाला जाँच आयोग नियुक्त करती है।

आयोग के विचारणीय विषय निम्न प्रकार होंगे :–

(i) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा मैसर्स ई. एस. पी. इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को व्यवसायिक वाहनों की फिटनेस के निरीक्षण और प्रमाणन का अनुबंध अवार्ड करने के सभी पक्षों की जाँच तथा अनियमितताओं, यदि कोई है, का उल्लेख करना।

(ii) उन व्यक्तियों की पहचान जो सामने आई अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी थे।

(iii) यदि अब यह पाया जाता है कि जिन उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन का मामला बनता है, उनके विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति न दिए जाने की परिस्थितियों की जाँच।

(iv) इन अनियमितताओं, यदि कोई हैं, के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति करना तथा इस मामले में भावी कार्यवाही का सुझाव देना।

(v) भविष्य में ऐसी अनियमितताएं, यदि कोई हैं, से बचने के लिए संस्थान स्तर पर उपचारात्मक कार्यवाही का सुझाव देना।

(vi) इस अनुबंध के माध्यम से विक्रेता ने जो अवैध धनराशि प्राप्त की उसकी वसूली के उपायों का सुझाव देना।

(vii) कोई अन्य मामला जो आयोग को सौंपा जाए।

आयोग द्वारा जाँच की प्रकृति तथा मामले की अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5क की उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि आयोग पर उस धारा की सभी उपधाराओं 2, 3, 4, 5 तथा 5क के सभी प्रावधान लागू होंगे।

आयोग अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा परन्तु यह अवधि इसकी पहली बैठक की तिथि से तीन माह से अधिक नहीं होगी।

के. एस. मीणा, उप–सचिव (सतर्कता)

DIRECTORATE OF VIGILANCE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th August, 2015

No.F.5/DOV/Tpt./4/7/2015/9386-9393.—Whereas, the Government of NCT of Delhi has decided to constitute an Independent Commission of Inquiry under the Commissions of Inquiry Act, 1952 for inquiring into all aspects of the award of work related to CNG Fitness Certificate(s) in the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi and subsequent investigations and developments in the case.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952, the Government of NCT of Delhi hereby appoints the Commission of Inquiry consisting of Justice S.N. Aggarwal, Retired Judge, Delhi and Madhya Pradesh High Court.

The terms of reference of the Commission shall be as under –

(i) To look into all aspects of the award of contract by the Transport Department, Govt. of NCT of Delhi for inspection and certification of commercial vehicles for fitness to M/s. ESP India Pvt. Ltd. and to point out irregularities, if any.

(ii) To identify the persons responsible for the irregularities identified.

(iii) To look into the circumstances surrounding denial of prosecution sanction against persons responsible for the irregularities, if it is now found that the case for prosecution is actually made out against them.

(iv) To recommend action against the persons responsible for these irregularities, if any, and to suggest future course of action in this case.

(v) To suggest remedial action at institutional level to avoid such irregularities, if any, in future.

(vi) To suggest measures for recovery of amount illegally accrued by the vendor by way of this contract, if any.

(vii) Any other matter that may be referred to the Commission.

Having regard to the nature of inquiry to be made by the Commission and other circumstances of the case, all the provisions of sub-section-2, sub-section-3, sub-section-4, sub-section-5 and sub-section-5 A of section- 5 of the said Commissions of Inquiry Act, 1952 shall be applicable to the Commission, and the Govt. of NCT of Delhi in exercise of the powers conferred under sub-section-1 of section-5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 hereby directs that all provisions of the sub-sections-2, 3, 4, 5 and 5A of that section shall apply to the Commission.

The Commission shall submit its report as soon as possible but not later than three months from the date of its first sitting.

K.S. MEENA, Dy. Secy. (Vig.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.